समानता
(Equality)

साधारणतया समानता का यह अर्थ लगाया जाता है कि मनुष्य जन्म से समान होते हैं और इसी कारण सभी व्यक्तियों को व्यवहार और अवसर का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। किन्तु स्वतन्त्रता का यह आशय उतना ही सम्पूर्ण है जितना यह कहना कि पृथ्वी समतल है। प्रकृति के द्वारा भी सभी व्यक्तियों को समान शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं। वर्तमान समय में हम समाज में जिस प्रकार की असमानता देखते हैं, उन असमानता के कारण दो प्रकार के हैं। एक प्रकार की असमानता यह है कि जिसका मूल व्यक्तियों में प्राकृतिक भेद है। प्रकृति के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि, बल, और प्रतिभा के दृष्टि से भेद किया जाता है, इस भेद के कारण जो असमानता उत्पन्न होती है उसे प्राकृतिक असमानता कहते हैं।

समानता के विभिन्न पक्ष या आयाम
(Various Dimensions of Equality)

समानता वर्तमान समय की सम्भवतया सर्वाधिक लोकप्रिय धारणा है और विभिन्न विचारकों तथा विचारधाराओं ने अपने - अपने तरीके से समानता की धारणा का प्रतिपादन किया है। इस स्थिति ने समानता के विभिन्न रूपों या आयामों को जन्म दिया है।

(i) वैधिक या कानूनी समानता अथवा समानता का कानूनी पक्ष
(ii) राजनीतिक समानता या समानता का राजनीतिक पक्ष
(iii) सामाजिक समानता या समानता का सामाजिक पक्ष
(iv) आर्थिक समानता या समानता का आर्थिक पक्ष।

वैधिक या कानूनी समानता

कानूनी समानता का अर्थ है कि राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं किया जाए, कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हों, और सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो।

(i) कानून के समक्ष समानता → इसका अर्थ यह है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं।

(ii) कानून का समान संरक्षण – कानून के समक्ष समानता कानूनी समानता का नकारात्मक पक्ष है। लेकिन इसके साथ ही कानूनी समानता का एक सकारात्मक पक्ष भी है।

(iii) कर्तव्यों के प्रसंग में समानता → कानूनी समानता की धारणा में यह बात भी सम्मिलित है कि अधिकारों के साथ सभी व्यक्तियों के कर्तव्य भी एक समान होंगे,

(iv) करों के निर्धारण में समानता → करों का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि करों का बोझ सभी के ऊपर डाला जाए।